

आदिवा - फलक

अनुमोदित दादाधिकारी - सह - न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा
20/23 के अन्तर्गत प्राधिकारी का कार्यालय, पोड़ाहाट - चक्रधरपुर।

न्यूनतम मजदूरी मुद्दमा सं० 03/2011

राज्य सरकार की
ओर से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी
चक्रधरपुर।

बनाम

- ① श्री कमल बिहोर महतो
श्रमिक, 30 मां की मुस्कायांड -
चक्रधरपुर
- ② श्रीमाध दास,
पैरी डेकेदार, चक्रधरपुर।

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
0.11	<p>श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी चक्रधरपुर के पत्रांक 55 दिनांक 15.9.11 द्वारा प्राप्त सहायक प्राधिकारी का अतल्लोकन किया गया। श्री कमल बिहोर महतो, श्रमिक 30 मां की मुस्कायांड - चक्रधरपुर एवं श्रीमाध दास पैरी डेकेदार, चक्रधरपुर जिला पंचायत के विरुद्ध श्रमिक ① सुकुरमुनी लोहार, चक्रधरपुर ② रागी तमाय पति राधिका तमाय ③ सुकुरमुनी लोहार पति राम लोहार ग्राम - मुस्कायांड थाना चक्रधरपुर एवं ग्राम 80 (मां) की ओर से सरकार द्वारा नियत मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी के बीच के अंतर का मुगाना रूपरेखा 4,991=00 मुस्कायांड/सतिपूर्ति की राशि 49,910=00 राहत के रूप में कुल ₹ 4,991=00 ह-जोवन द्वाारा नौ महीने के रूप में मुगाना करने हेतु चक्रधरपुर में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 20/23 के अन्तर्गत दावा पत्र दाखल किया गया है।</p> <p>उपय पत्र को अपना पत्र प्रस्तुत करने हेतु त्रैविश क्रित किया जाय।</p> <p>अप्रिलेख दिनांक 05.12.11 को प्रस्तुत किया जाय।</p>	<p>1-9-14 22-9-14 14-10-14 24-10-14 11-11-14 9-12-14 21-1-15 24-2-15 24-3-15 7-4-15 28-4-15 12-5-15 2-6-15 19/11/11 09-11-11 200/1110 09-11-11 16-6-15 7-7-15 11-8-15 1-9-15 22-9-15 9-10-15 21-10-15 29-12-15 29-1-16 10-3-16</p>
17-4-17	<p>1-8-17 9-8-17 18-8-17</p>	<p>10/11/11 22/11/11</p>

प्रमाणित

109
08

COMBINED TITLE PAGE AND TABLE OF CONTENTS

FILE

Complainant
Applicant

राजेश कुमार चौधरी
से प्रेम प्रवर्तन पर धमकी
पञ्चपरपुरा

IN THE COURT OF S.D.M. COURT

Accused
Opposite party

- केशव -
श्री केशव चौधरी
महाराष्ट्र शिक्षक संघ अर्को
मुम्बई 400 001
रजव संघ - I

CASE NO. बुनातम मुम्बई क्र. 03/2011

Section of the Indian Penal Code or other law

Date of the Decision of Original Court

Date of the Decision of Appellate or Revisional Court

TABLE OF CONTENTS

1	2	3	4	5	6
Serial number of paper	Sheets	Description	Value of Court-fee stamp	Period for which to be Preserved	REMARKS
					12-09-17.
					26-09-17.
					09.10.17
					24-10-17.
					21-11-17.
					08-12-17.
					19-12-17.
					27-12-17.
					13-01-18
					15-01-18
					18-01-18.
					19-01-18.
					24-01-18
					03-02-18

29-12-15

24-01-18

अखिलेश उपस्थित / उन्हा पत्र के सफल अनुपस्थित /
प्रांतीय पत्रकारों के साथ कार्य में गलत है / अखिलेश
दिनांक-03-02-18 को करे।

अनुपस्थित

3-2-18

अखिलेश उपस्थित / इस वाद की सुनवाई माफरी 2017
की अग्रिम चित्त लोक अदालत एवं Civil Court -
Chaibasa की आदेश की आलाक में इस वाद की-
कार्याही समाप्त की जाती है।

अनु
3-2-18

BEFORE THE LOK ADALAT

HELD AT Civil Court, Chaibasa

[Organised By DLS Authority/
Committee under section 19, of the Legal Services Authority Act, 1987 (Central Act)]

Petitioner/Respondent: Labour Enforcement Officer, Chakradharpur

Defendant/Respondent: Kamal Kishore Mahto

No., of Proceedings of the MW-03/2011, of SDM, Chakradharpur Court/Authority/Committee ✓

Present:

Name of Judicial Officer/ Shri R.K. Sinha, ACJM, Chaibasa

Retired Judicial Officer

Name of Members:

- 02-03-2018
- 02/3/18 (1) Miss Roqshona Durgdung, Dedicated Certificate officer
Chaibasa
- (2) Shri Balajee Bank, Advocate

AWARD

The dispute between the parties having been referred for determination to the Lok Adalat and the parties having compromised/settled the case/matter, the following award is passed in terms of the statement:

A sum of Rs. 4991/- as dues wages and Rs. 1200/- as
compensation, total Rs. 6191/- (Six thousand one hundred
ninety one only) paid to the concerned labours.

The parties are informed that the court fee, if any, paid by any of them shall be refunded.

02/03/18
Petitioner/Respondent
मनोहरपुर प्रभारी
जोईकाटेरा, चक्रधरपुर, बंदगाव,
मुन्डी एवं आनंदपुर
Judicial Officer



King
Member
02/03/18

Kamal Kishore Mahto
Defendant/Respondent

King
Member
02/03/18

Date: 9/9

(Seal of the Authority/Committee)